बिल का सारांश

राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन का सरलीकरण) (संशोधन) बिल, 2023

- राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन का सरलीकरण) (संशोधन) बिल, 2023 को राजस्थान विधानसभा में 28 फरवरी, 2023 को पेश किया गया। बिल राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन का सरलीकरण) एक्ट, 2019 में संशोधन का प्रयास करता है। यह कानून राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कुछ स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करता है।
- **पावती प्रमाणपत्र की वैधता**: एक्ट के तहत एमएसएमई शुरू करने का इच्छुक व्यक्ति निवेश संवर्धन ब्यूरो में डेक्लरेशन ऑफ इंटेंट (अपने आशय के बारे में बताना) पेश करता है। डेक्लरेशन मिलने के बाद ब्यूरो एक पावती प्रमाणपत्र जारी करता है। इस प्रमाणपत्र से तीन वर्ष की अवधि के लिए एमएसएमईज़ को कुछ रेगुलेटरी मंजूरियां लेने और संबंधित निरीक्षणों से छूट मिल जाती है। बिल पावती प्रमाणपत्र की वैधता को बढ़ाकर पांच वर्ष करता है।
- **केंद्रीय कानूनों के तहत छूट**: जहां केंद्रीय कानून राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह एमएसएमई को कुछ छूट प्रदान कर सकती है, एक्ट में प्रावधान है कि एमएसएमई को पावती प्रमाणपत्र जारी करने के बाद कम से कम तीन वर्षों के लिए यह छूट दी जानी चाहिए। बिल इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

हर्षित पडिया
harshit@prsindia.org

9 मई, 2023